भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1183
दिनांक 30.07.2024 को उत्तरार्थ

ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन

1183. डॉ. राजीव भारद्वाजः
श्री सतपाल ब्रह्मचारीः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री मनोज तिवारीः
श्री परषोत्तमभाई रुपालाः
श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंहः
सुश्री कंगना रनौतः
श्री करण भूषण सिंहः
श्री नव चरण माझीः
श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेलः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'ग्राम मानचित्र का एप्लीकेशन का ब्यौरा और प्रभाव क्या है;

(ख) उक्त एप्लीकेशन किस प्रकार पंचायत स्तर पर, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में शासन में परिवर्तन ला रहा है;

(ग) क्या सरकार पंचायत स्तर पर प्रौद्योगिकीय प्रगति के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए कोई अन्य कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(प्रोफ. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक नियोजन को बढ़ावा देने के लिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र (https://grammanchitra.gov.in) का शुभारंभ किया था। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन करने में सुविधा और सहायता प्रदान करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले विविध विकास कार्यों को बेहतर ढंग से देखने और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए निर्णय लेने हेतु सहायता प्रणाली प्रदान करने के लिए एक एकल/एकीकृत भू-स्थानिक मंच प्रदान करता है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने mActionSoft नामक मोबाइल आधारित समाधान लांच किया है, जो उन कार्यों के लिए जियो-टैग (यानी GPS निर्देशांक) के साथ फ़ोटो खींचने में मदद करता है, जिनमें आउटपुट के रूप में परिसंपत्तियाँ होती हैं। परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग तीनों चरणों में की जाती है, यानी (i) काम शुरू होने से पहले, (ii) काम के दौरान और (iii) काम पूरा होने पर। यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचयन, सूखा निवारण, स्वच्छता, कृषि, चेक डैम और सिंचाई चैनलों आदि से संबंधित सभी कार्यों और परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी का स्रोत उपलब्ध करेगा। mActionSoft एप्लिकेशन का उपयोग करके जियोटैग की गई परिसंपत्तियाँ ग्राम मानचित्र पर उपलब्ध हैं, जो ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की दृश्यता को बढ़ाती हैं।

वित्त आयोग के फंड के तहत बनाई गई संपत्तियों को पंचायतों द्वारा संपत्तियों की तस्वीरों के साथ जियोटैग किया जाता है। पंचायत के नक्शे पर जियोटैग की गई संपत्तियों का जीआईएस डेटा ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन पर देखा जा सकता है। ग्राम मानचित्र कई नियोजन उपकरण प्रदान करता है जो भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तकनीक का उपयोग करके ग्राम पंचायत अधिकारियों को यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य विकास योजनाएँ तैयार करने में मदद करता है। ये साधन विकास योजनाओं की तैयारी में एक निर्णय लेने हेतु सहायता प्रणाली प्रदान करते हैं जैसे विकास परियोजनाओं के लिए संभावित स्थलों की पहचान करने, संपत्ति की ट्रैकिंग, परियोजनाओं की लागत का अनुमान लगाने और परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए उपकरण। इन एप्लिकेशनों का उपयोग हिमाचल प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है।

(ग) और (घ) मंत्रालय डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, मंत्रालय ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के रूप में अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। अतीत की उपलब्धियों के आधार पर, मंत्रालय ने 24अप्रैल, 2020को ई-पंचायत एमएमपी के तहत पंचायतों के लिए कार्य-आधारित व्यापक एप्लिकेशन ई-ग्राम स्वराज लॉन्च किया। यह एप्लिकेशन ऑनलाइन भुगतान सहित एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंचायत कामकाज के सभी पहलुओं जैसे नियोजन, बजटन, लेखा, निगरानी, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि को शामिल करता है। अब तक 2.44लाख ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2024-25के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार कर अपलोड की है। इसके अलावा, 2.06लाख पंचायतों ने वर्ष 2024 -25के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के लिए ऑनलाइन लेनदेन पहले ही पूरा कर लिया है। ई-ग्राम स्वराज को राज्यवार अपनाने की जानकारी **अनुबंध-I** में दी गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए ई-

पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत ऑडिटऑनलाइन नामक एप्लीकेशन शुरू किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा प्रदान करता है और आंतरिक और बाह्य ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज करता है। ऑडिट वर्ष 2022-23 के लिए 2.52 लाख ऑडिट प्लान बनाए गए हैं और 2.48 लाख ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा चरणबद्ध तरीके से भारतनेट परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाया जा सके। अब तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2.17 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। दिनांक 30.06.2021 तक भारतनेट का दायरा देश में ग्राम पंचायतों से सुदूर सभी आबादी वाले गांवों तक बढ़ा दिया गया है। सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

आज की तिथि के अनुसार 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2.32 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा आयोजित की है और 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपने नागरिक चार्टर को अंतिम रूप दे दिया है।

****

अनुबंध-I

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर ई-ग्राम स्वराज को अपनाना

क्रमांक	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों एवं समतुल्य की कुल संख्या	शामिल ग्राम पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान के साथ ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या	शामिल ब्लॉक पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान के साथ ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों की कुल संख्या	शामिल जिला पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान के साथ जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13325	13285	10657	660	660	572	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2100	63	0	0	0	25	25	3
3	असम	2662	2197	1926	191	191	93	30	27	15
4	बिहार	8054	8054	7120	534	534	451	38	38	35
5	छत्तीसगढ़	11596	11594	9145	146	146	137	27	27	25
6	गोवा	191	189	38	0	0	0	2	2	1
7	गुजरात	14621	14588	9653	248	248	246	33	33	33
8	हरियाणा	6225	6218	4419	143	143	102	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3614	2550	81	81	43	12	12	6
10	झारखंड	4345	4345	3869	264	264	240	24	24	23
11	कर्नाटक	5953	5953	5731	238	232	54	31	31	17
12	केरल	941	941	698	152	152	107	14	14	11
13	मध्य प्रदेश	23011	23003	22566	313	313	272	52	52	49
14	महाराष्ट्र	27820	27769	18449	351	351	174	34	34	32
15	मणिपुर	3180	161	17	0	0	0	12	6	3
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	834	754	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1289	185	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	5769	314	314	267	30	30	20
20	पंजाब	13236	13207	4534	152	151	66	22	22	10
21	राजस्थान	11208	11202	8079	361	353	338	33	33	32
22	सिक्किम	199	198	145	0	0	0	6	6	5
23	तमिलनाडु	12525	12524	11045	388	388	385	36	36	36
24	तेलंगाना	12771	12768	11194	540	540	422	32	32	31
25	त्रिपुरा	1176	1176	859	75	75	64	9	9	6
26	उत्तराखंड	7795	7794	6690	95	95	92	13	13	12
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	44538	826	826	788	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3327	345	345	344	22	21	21
कुल		**263329**	**251723**	**193835**	**8658**	**6402**	**5257**	**650**	**640**	**536**

———

अनुबंध-II

सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	कुल जीपी/टीएलबी	सेवा के लिए तैयार जीपी/टीएलबी	कार्यशील जीपी/टीएलबी
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70	81	46
2	आंध्र प्रदेश	13326	12967	5559
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	1117	157
4	असम	2662	1634	501
5	बिहार	8054	8860	2892
6	छत्तीसगढ़	11645	9759	1651
7	गोवा	191	0	0
8	गुजरात	14621	14559	11465
9	हरियाणा	6225	6204	1941
10	हिमाचल प्रदेश	3615	415	276
11	जम्मू और कश्मीर	4291	1113	454
12	झारखंड	4345	4646	2296
13	कर्नाटक	5952	6251	3659
14	केरल	941	1130	946
15	लद्दाख	193	193	40
16	लक्षद्वीप	10	9	5
17	मध्य प्रदेश	23011	18105	2754
18	महाराष्ट्र	27911	24597	3877
19	मणिपुर	3812	1479	21
20	मेघालय	6831	696	27
21	मिजोरम	841	529	61
22	नागालैंड	1304	233	13
23	ओडिशा	6794	7099	3337
24	पुदुचेरी	108	101	94
25	पंजाब	13238	12807	9432
26	राजस्थान	11208	8997	6421
27	सिक्किम	199	54	6
28	तमिलनाडु	12525	9882	3449
29	तेलंगाना	12771	10915	5812
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38	41	19
31	त्रिपुरा	1176	771	424
32	उत्तर प्रदेश	57691	47341	3921
33	उत्तराखंड	7795	2014	1127
34	पश्चिम बंगाल	3339	2958	2319
कुल योग		**268841**	**217557**	**75002**

***** *कुछ जीपी में 1 से अधिक सेवा बिंदु हो सकते हैं।*